



प्रेस नोट दिनांक 06-09-2026 थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद ।

थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-116/2026 धारा 67 बी आईटी एक्ट व 13/14/15 पॉक्सो एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त रिकू को किया गया गिरफ्तार ।

- थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा पूर्व में मु0अ0सं0-116/2026 में अभियुक्ता पूजा पुत्री नरेश कुमार निवासी नगला बीच थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में साइबर क्राइम अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया एप्प टेलीग्राम पर अपने मोबाइल द्वारा CSEAM (Child sexual exploitative abuse material) की वीडियो मोबाइल में डाउनलोड करने, भण्डारण करने, अपलोड करने व बेचने के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2026 धारा 67 बी आईटी एक्ट व 13/14/15 पॉक्सो एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त रिकू पुत्र नत्थू सिंह निवासी खेरालंगर थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद को राजमल – मंडनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त-

1. रिकू पुत्र नत्थू सिंह निवासी खेरालंगर थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिकू -

1. मु0अ0सं0 116/2026 धारा 67 बी आईटी एक्ट व 13/14/15 पॉक्सो एक्ट थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नारखी श्री संजय कुमार पाण्डे थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
2. थानाध्यक्ष बृजकिशोर सिंह थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 दिलीप कुमार चौकी प्रभारी नगला बीच थाना रजावली जनपद फिरोजाबाद ।
4. का0 1147 विष्णु कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
5. का0 502 इन्द्रजीत थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।